# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नरपत सिंह / भारती भण्डारी

100/2024/226

| तारीख पेशी | 2024/100 अमितलाल — हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर — डिक्री जारी – 8 इन्द्रजीत सिंह / प्रे 3, 8 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | नरपतसिंह बनाम भारती भण्डारी वगैरह (2024 / 100)<br>पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 एवं 08 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने संशोधित उनवान पेश किया, प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर | |
| 07.05.2025 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 28.04.2025 को अपील पर सुना गया।<br>अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि दिनांक 16.04.2024 अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।<br>**अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर | |

Scanned with CamScanner